बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत भंडारगृह/केन्द्रों के लिए परिवहन/हथलन संवेदक/अभिकर्त्ता के निबंधन एवं नवीकरण हेतु आवश्यक अहर्ता/मानदण्ड :-

1) **आवेदक** के द्वारा परिवहन/हथलन संवेदक के निबंधन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में वांछित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र एवं शुल्क के साथ समर्पित किया जायेगा। आवेदक व्यक्तिगत अथवा फर्म अथवा कम्पनी या समिति में से कोई हो सकता है। आवेदक भारतीय नागरिक होंगे।

2) **निबंधन श्रेणी-:-**

परिवहन/हथलन संवेदक का निबंधन निम्नानुसार श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 में किया जायेगा : -

श्रेणी 1 - 3.50 करोड़ रुपये एवं अधिक तथा अन्यून के परिवहन/हथलन कार्य वाले भंडारगृह/केन्द्र हेतु निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

श्रेणी 2 - 3.50 करोड़ रूपये से कम परिवहन/हथलन कार्य वाले भंडारगृह/केन्द्र हेतु निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

श्रेणी 3 - 2.00 करोड़ रुपये से कम परिवहन/हथलन कार्य वाले भंडारगृह/केन्द्र हेतु निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

3) **आवेदन पत्र** - परिवहन/हथलन संवेदक के लिए निबंधन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन वांछित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के साथ विहित शुल्क समर्पित करना अनिवार्य होगा।

4) **आवेदन शुल्क** - प्रत्येक आवेदक/संस्थान द्वारा आवेदन शुल्क मो0 25,000 (पचीस हजार) रूपये बिहार राज्य भंडार निगम को देय होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।

5) **निबंधन शुल्क** उपर्युक्त श्रेणी-हेतु निम्न प्रकार होगा:-

श्रेणी 1 - रु. 4 (चार) लाख

श्रेणी 2 - रु. 2 (दो) लाख

श्रेणी 3 - रु. 1 (एक) लाख

जिनका निबंधन अहर्त्ता को पूरा नहीं करने अथवा किसी कारणवश नहीं हो पायेगा उन्हें निबंधन शुल्क की राशि वापसी योग्य होगा। छद्म या जाली कागजात/प्रमाण पत्र पाये जाने पर निबंधन शुल्क जप्त कर ली जायेगी।

6) **i)** श्रेणी-3 में निबंधित संवेदक श्रेणी-2 एवं श्रेणी-1 में तथा श्रेणी-2 में निबंधित संवेदक श्रेणी-1 में वांछित निबंधन शुल्क जमा कर श्रेणी-विशेष हेतु वांछित अहर्त्ताओं/योग्यताओं को पूरा करनें पर निबंधित हो सकते है। ऐसी परिस्थिति में क्रमशः निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जायेगा।

ii) उपरोक्त तीनो श्रेणी-के निबंधित/पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार/झारखण्ड राज्य में बिहार राज्य भंडार निगम के क्षेत्राधीन पड़नेवाले भंडारगृहों/केन्द्रों के लिए निर्धारित मानदण्ड अनुसार परिवहन/हथलन कार्य हेतु निविदा डालने के लिए सक्षम होंगे।

7) **शुल्क जमा करनें की प्रक्रिया** - आवेदन शुल्क एवं निबंधन शुल्क आवेदक/संस्थान के द्वारा उनके नाम से संधारित खाता से RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य भंडार निगम के **HDFC बैंक के खाता संख्या 02357620000226 IFSC Code HDFC0006223 मौर्यालोक ब्राँच, पटना** में जमा किया जायेगा। साथ ही शुल्क जमा करने संबंधी विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित किया जायेगा। यथास्थितिवश वापसी आवेदक/संस्थान के नाम उपर्युक्तानुसार संधारित खाता में होगा जिससे शुल्क राशि प्राप्त हुआ है। आवेदन शुल्क एवं निबंधन शुल्क जमा नहीं करनें पर आवेदन पर विचार नहीं होगा एवं आवेदन स्वत: निरस्त माना जायेगा। आवेदन शुल्क एवं निबंधन शुल्क के बिहार राज्य भंडार निगम के उक्त निर्दिष्ट खाता में प्राप्ति के उपरान्त ही पात्रता के शर्त्तो को पुरा करनें पर संबंधित के निबंधन पर विचार किया जायेगा।

8) **निबंधन प्राधिकारी** - बिहार राज्य भडार निगम के प्रबंध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निबंधन प्राधिकारी होंगे।

9) निबंधन अवधि निबंधन की तिथि से 5 (पाँच) वर्षो के लिए अनुमान्य होगा।

10) निबंधन हेतु इच्छुक आवेदक/संस्थान द्वारा विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिअनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

i) आवेदक का आधार कार्ड।

ii) आवेदक/संस्थान का PAN कार्ड जिसकी विवरण अग्रांकित है :-

a) व्यक्तिगत के लिए (आवेदक का PAN कार्ड)।

b) फर्म के लिए (फर्म का PAN कार्ड)।

c) कम्पनी के लिए (कम्पनी का PAN कार्ड)।

d) समिति के लिए (समिति का PAN कार्ड)।

iii) आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का दो फोटो।

iv) आवेदक एवं संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का आचरण प्रमाण पत्र जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत।

v) आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी/सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत ।

vi) आवेदक एवं संस्थान का GST निबंधन का प्रमाण पत्र।

vii) एकल/व्यक्तिगत मालिक होने की स्थिति में तत्संबंधी विहित प्रपत्र में शपथ पत्र ।

viii) फर्म /कम्पनी एवं समिति की स्थिति में निम्नानुसार कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति जमा करना होगा।:-

a) फर्म/ पार्टनरशीप फर्म के लिए रजिस्र्टड डीड।

b) कम्पनी के लिए Registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution.

c) समिति के लिए समिति का Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution.

d) आवेदक/संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में आवेदनकर्त्ता होने की स्थिति में प्राधिकृति पत्र संलग्न करना होगा।

ix) **ट्रक का स्वामित्व/एकरारनामा-**

श्रेणी-1 के लिए आवेदक/संस्थान के स्वामित्व का 07 (सात) ट्रक (न्यूनतम) एवं आवेदक के साथ एकरारनामा का 07 (सात) ट्रक।

श्रेणी-2 के लिए आवेदक/संस्थान के स्वामित्व का 06 (छः) ट्रक (न्यूनतम) एवं आवेदक के साथ एकरारनामा का 06 (छः) ट्रक।

श्रेणी-3 के लिए आवेदक/संस्थान के स्वामित्व का 05 (पाँच) ट्रक (न्यूनतम) एवं आवेदक के साथ एकरारनामा का 05 (पाँच) ट्रक।

नोटः- (क) ट्रक का Gross Vechicle Weight (GVW) 16,200 Kg या उससे अधिक होना चाहिए।

(ख) आवेदक/संस्थान के स्वामित्व के ट्रक की संख्या उपर्युक्त न्यूनतम से जितनी अधिक होगी, उस अनुरूप एकरारनामा का ट्रक वांछित नहीं होगा।

x) समर्पित किये गये स्वामित्व एवं एकरारनामा वाले ट्रकों का निबंधन प्रमाण पत्र/अद्यतन कर भुगतान (Tax Token) प्रमाण पत्र/अद्यतन बीमा पत्र/अद्यतन फिटनेश प्रमाण पत्र एवं अद्यतन परमिट पत्र (बिहार/झारखण्ड में मान्य) का छायाप्रति, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित, जमा करना अनिवार्य होगा।

xi) आवेदक/संस्थान का **आयकर रिटर्न** विगत दो वर्ष का।

xii) **अचल सम्पत्तिः-** अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र आवेदक/संस्थान के स्वामित्व का श्रेणी-1 के लिए 5 (पाँच) करोड़ रूपये न्यूनतम एवं श्रेणी-2 के लिए 2 (दो) करोड़ रूपये न्यूनतम तथा श्रेणी-3 के लिए 1 (एक) करोड़ रूपये न्यूनतम अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/निर्गत।

xiii) **वार्षिक टर्न ओवर:-** आवेदक/संस्थान का कृषि उत्पाद/बीज/खाद/खाद्यान्न/उरर्वक/मोटा अनाज/सीमेंट/चीनी/अन्य सामग्री का परिवहन/हथलन कार्य का विगत दो वर्ष का टर्न ओवर (Audited Balance Sheet तथा Profit & Loss A/c एवं Turnover Certificate UDIN के साथ) श्रेणी-1 के लिए प्रति वर्ष 5.00 करोड़ रूपये न्यूनतम, श्रेणी-2 के लिए 2.00 करोड़ रूपये न्यूनतम एवं श्रेणी-3 के लिए 1.00 करोड़ रूपये न्यूनतम।

xiv) **बैंक बैलेंस:-** आवेदक/संस्थान का वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में तीन माह का Average Bank Balance श्रेणी-1 के लिए रु. 2.00 (दो) करोड़ रूपये न्यूनतम एवं श्रेणी-2 के लिए रु. 1.00 (एक) करोड़ रूपये न्यूनतम तथा श्रेणी-3 के लिए रु. 50.00 (पचास) लाख रूपये न्यूनतम अनिवार्य होगा। तत्संबंधी बैंक से प्रदत्त सर्टिफिकेट देना होगा।

xv) **सालवेन्सी सर्टिफिकेट** - आवेदक/संस्थान का वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बैंक से निर्गत सालवेन्सी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सालवेन्सी सटिर्फिकेट श्रेणी-1 के लिए 3.00 (तीन करोड़) रूपये न्यूनतम, श्रेणी-2 के लिए 2.00 (दो करोड़) रूपये न्यूनतम एवं श्रेणी-3 के लिए 1.00 (एक करोड़) रूपये न्यूनतम का होना चाहिए।

xvi) **अनुभव प्रमाण पत्र** - कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/बीज/खाद/उर्वरक/मोटा अनाज/सीमेंट/चीनी/अन्य सामग्री के रेल रेक के परिवहन/हथलन संवेदक के रूप में कार्य संपादन करने का विगत पाँच वर्ष में दो वर्ष का श्रेणी-1 के लिए प्रति वर्ष 5. 00 (पाँच करोड़) रूपये न्यूनतम, श्रेणी-2 के लिए 2.00 (दो करोड़) रूपये न्यूनतम का तथा श्रेणी-3 के लिए 20.00 (बीस) लाख रुपये का अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा। उक्त सभी श्रेणी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र सम्वेदक द्वारा कार्य किये सरकारी/अर्द्धसरकारी/संबंधित संस्थान से निर्गत होना चाहिए।

11) (i) बिहार राज्य भंडार निगम के पदाधिकारी/कर्मी एवं उनके निकटतम परिजन (माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/ससुराल पक्ष के संबंधी) निबंधन के पात्र नहीं होगें। इस संबंध में शपथ पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा।

(ii) सजायाफ्ता/सिद्ध दोषी/सरकारी राशि के दुरूपयोग/गबन के दोषी, किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित (Debarred) तथा जिनकी अग्रधन (EMD)/प्रतिभूति राशि (Security Deposit)/बैंक गारंटी (BG) जब्त की गई हो एवं अनर्हित (Disqualified) हो तथा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ती धारी / Door Step Delivery अभिकर्त्ता/चावल मिल मालिक एवं फ्लावर मिल मालिक एवं उससे संबंधित संस्थान निबंधन के पात्र नहीं होंगे। तत्संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर से विहित प्रपत्र में निर्गत शपथ पत्र जमा करना होगा।

12) आवेदक/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ समर्पित सभी कागजात/प्रमाण पत्र पर आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर लगा रहना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं अस्वीकृत किया जायेगा।

13) वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र आदि समर्पित नहीं करनें पर निबंधन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। निबंधन का आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर समर्पित किया गया वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति के भौतिक सत्यापन/मिलान के उपरांत सही पाये जाने पर निबंधन किया जायेगा। छ्द्म/फर्जी/गलत कागजात पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा तथा निबंधन शुल्क जप्त कर लिया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

14) आवेदन का निस्तार - प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न कागजात/शुल्कादि की नियमानुसार समीक्षा/निष्पादन निगम स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। समीक्षोपरान्त सही पाये जाने एवं पात्रता की शर्त्तो को पुरा करने वाले के निबंधन पर प्रबंध निदेशक, बि.रा.भं.नि. द्वारा विचार किया जा सकेगा। एतदार्थ प्रबंध निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

15) आवेदक विहित आवेदन एवं विहित प्रपत्र के सभी कॉलम को सही रूप से भरें। अपूर्ण, अधुरा, असत्य तथा अवांछित भरे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक ही आवेदन स्वीकार्य होंगे। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

16) गलत सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र देने वाले आवेदक/संस्थान का निबंधन मान्य नहीं किया जायेगा। निगम प्रबंधन समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र की यथा आवश्यकतानुसार जांच करा सकता है। कालक्रम में सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र के प्रमाणिक रूप से गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारणपृच्छा के निबंधन स्वतः रद्द करार किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

17) बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित कानून/नियम/निदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। कार्यहित/लोकहित में निगम द्वारा प्रदत्त निदेश का सम्यक/अक्षरशः अनुपालन संबंधित की अपरिहार्यता होगी।

18) एक बार आवेदक/संस्थान का निबंधन हो जाने के बाद उसके नाम एवं पता तथा स्वरूप में परिवर्तन करने के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम सक्षम होंगे।

19) प्रत्येक एक वर्ष व अन्यून अंतराल पर नये निबंधन की प्रक्रिया निगम प्रबंधन द्वारा यथायुक्त रूप से की जा सकेगी। आवश्यकतानुरूप प्रत्येक वर्ष निबंधित सम्वेदकों की समीक्षा की जायेगी।

20) (क) कार्य/संव्यवहार असंतोषप्रद होने/ सदोष आशय से कृत्य/अपकृत्य करनें तथा अनियमितता पाये जाने एवं अनुशासनहीनता पर संर्वोधित संवेदक को निलम्वित किया जायेगा/कालीसूचीवद्ध किया जा सकेगा।

(ख) कार्य/संव्यवहार असंतोषजनक स्थापित होने/सिद्धदोष होने पर बगैर कारण पृच्छा किये अथवा सूचना दिये निबंधन रद्द करार किया जायेगा।

21) **नवीकरण** – निर्वोधित सम्वेदक द्वारा विहित प्रपत्र मे आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क मो0 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र एवं नवीकरण शुल्क (श्रेणी–1 हेतु रु. 4.00 (चार) लाख एवं श्रेणी–2 हेतु रु. 2.00 (दो) लाख तथा श्रेणी–3 हेतु रु. 1.00 (एक) लाख जमा करने के उपरांत आगामी 05 (पाँच) वर्ष हेतु नवीकरण किया जायेगा। अग्रतर नवीकरण निमित्त यथानुसार उपर्युक्त प्रावधान प्रभावी होंगे।

22) निवंधन अवधि समापन के एक माह पूर्व नवीकरण कराना आवश्यक होगा। सम्यक रूप से नवीकरण नही कराये संवेदक का निवंधन निस्प्रभावी (void) एवं समाप्त माना जायेगा।

23) विहार राज्य भंडार निगम संर्वोधित विशिष्ट प्रावधान के तहत अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष, विहार राज्य भंडार निगम हैं।

24) विधिक विवाद निपटारा – विधिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, पटना होगा।

25) अद्यतन प्रतिपादित शर्त्त/आर्हता अग्रगामी निवंधन/नवीकरण या पूर्व से निर्वोधितों के श्रेणी–परिवर्तन पर प्रभावी होगा।